रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426] No. 426] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2017 ज्ये B 9, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2017/JYAISTHA 9, 1939

#### वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

सा.का.नि. 525(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद '309' के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (मुख्यालय) में, सहायक निदेशक, श्रेणी-2 (गैर-तकनीकी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (मुख्यालय), सहायक निदेशक, श्रेणी-2 (गैर-तकनीकी) समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हंती।
- 2. वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (मुख्यालय), सहायक निदेशक, श्रेणी-2 (गैर-तकनीकी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम '2' के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा; अर्थात्:-
- "2. पद-संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"
- 3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-
- (i) स्तंभ (4) में,-
- क. शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान।";

ख. विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"वेतन मेट्रिक्स में स्तर – 7 (44900-142400 रु.)।";

- (ii) स्तंभ (11) में,-
- (क) उप-शीर्षक 'प्रोन्नति' के अधीन,-
  - क. "वेतन बैंड -2, 9300-34800 रूपये, + ग्रेड वेतन 4200 रूपये" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 6 में 35400-112400 रूपये" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
  - ख. 'टिप्पण-2' का लोप किया जाएगा;
- (ख) उप-शीर्षक 'प्रतिनियुक्ति' के अधीन,-
  - क. खंड (क) के उप-खंड (ii) में "वेतन बैंड -2 में 9300-34800 रूपये + ग्रेड वेतन 4200 रूपये" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मेट्रिक्स के स्तर- 6 में 35400-112400 रूपये" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
  - ख. खंड (ख) में 'टिप्पण 4' का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 12018/2/2012-डीसीएचएल/स्था.-]]

शांतमनु, हथकरघा विकास आयुक्त

मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड-3, उप–खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 45(अ), तारीख 27 फरवरी, टिप्पण:

## MINISTRY OF TEXTILES

# (OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th May, 2017

- G.S.R. 525(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Assistant Director Grade-II (Non- Technical), Group - 'B'
- Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Assistant Director Grade-II (Non-Technical), Group - 'B' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
  - They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Assistant Director Grade- II (Non-Technical), Group - 'B' Post, Recruitment Rules, 2015, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely: -
- "2. Number of post, classification, level in the pay matrix or pay scale. The number of post, its classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of

### EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 303-309

Dated: 28-2-2015

#### वस्त्र मंत्रालय

#### MINISTRY OF TEXTILES

( हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय )

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (मुख्यालय), सहायक निदेशक श्रेणी-2 समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2005, को उन बातों के सिवाय अधिकात करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकामण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (मुख्यालय) में सहायक निदेशक श्रेणी-2 (गैर तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (मुख्यालय), सहायक निदेशक श्रेणी-2 (गैर तकनीकी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 है ।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनसची

|  |  |   | अनुसूची  |   |   |  |  |
|--|--|---|--|---|---|--|--|
| पद का नाम  | पदों की संख्या   | वर्गीकरण  | वेतन बैंड और<br>ग्रेड वेतन<br>या वेतनमान   | चयन या<br>अचयन पद   | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के<br>लिए आयु-सीमा  |  |  |
| (1)  | (2)  | . (3)   | (4)  | (5)   | (6)   |  |  |
| सहायक<br>निदेशक<br>श्रेणी–2( गैर–<br>तकनीकी)   | 7* (2015)<br>*(कार्यभार के<br>आधार पर<br>परिवर्तन किया<br>जा सकता है)। | साधारण केन्द्रीय<br>सेवा, समूह 'ख'<br>राजपत्रित,<br>अनुसचिवीय | वेतन बैंड-2,<br>9300—<br>34800 रु.<br>+ ग्रेड वेतन<br>4600 रु.   | चयन   | लागू नहीं होता  |  |  |
|  | ए जाने वाले व्यक्तियों<br>क और अन्य अर्हताए                            | ,   |  | ् जाने वाले व्यक्तियों  | ,   |  |  |
| जनायात सावा  |  |   | अर्हताएं प्रोन्नत<br>लागू होंगी या   |   | T   |  |  |
|  | (7)  |   | (8)  |   | (9)   |  |  |
| ~  | नागू नहीं होता   |   | लागू नहीं  | होता  | लागू नहीं होता  |  |  |
| जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10)  |  |   | (11)   |   |   |  |  |
| प्रोन्नित जिसके न हो सकने पर प्रितिनयुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) । |  |   | 4200 <sup>-</sup><br>प्रशिक्ष<br>सामाजि  | हायक जिन्होंने वेतन<br>रुपये में पांच वर्ष निय<br>ण और प्रबंध संस्थान<br>कि अनुसंधान परिषद<br>रंस्थान से स्थापन औ | बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेत-<br>मित सेवा की है और जिन्होंने सचिवालय<br>(आईएसटीएम), राष्ट्रीय प्रशिक्षण औ<br>(एनसीटीएसआर) या अन्य किसी मान्यता<br>र प्रशासन में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण |  |  |
|  |  |   | टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। |   |   |  |  |
|  |  |   | टिप्पण 2 : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर   |   |   |  |  |

उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर

आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह लाभ केवल उस पर (उन पतों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

#### प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अर्द्ध-सरकारी या कानुनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:—

(a)(i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद भारण बिग्र हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200 रुपये में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों में प्रशासन या निर्यात या सहकारिता या हथकरघा और वस्त्र या ग्राम और लधु उद्योग से संबंधित कार्य का 2 वर्ष का अनुभव है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अविधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

टिप्पण 4:— प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान .का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

|   | (4)   |
|---|---|
| यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना  | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श<br>किया जाएगा  |
| (12)  | (13)  |
| समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित<br>के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें<br>निम्निलिखित होंगे :— | प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी<br>अधिकारी की नियुक्ति करते संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना<br>आवश्यक है । |
| 1. विकास आयुक्त (हथकरघा) —अध्य  | ाक्ष  |
| <ol> <li>अपर या संयुक्त विकास आयुक्त – सदर<br/>(हथकरघा)</li> </ol>  | स्य   |
| <ol> <li>वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय में निदेशक —सदस्य<br/>या उप-सचिव</li> </ol>                                | य   |
|   | िक्त मं 12018/2/2012-दीमीपचपल/स्था I  |

ॣ [फा. सं. 12018/2/2012-डीसीएचएल/स्था.-I]
अनिल राज कमार, अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

(Office of the Development Commissioner for Handlooms)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2015

- G.S.R. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms Headquarters, Assistant Director Grade-II (Non-Technical), Group 'B' post, Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director Grade-II (Non-Technical), in the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Assistant Director Grade-II (Non-Technical), Group-'B' Post, Recruitment Rules, 2015.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
  - 4. Disqualification .- No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

| Name of post  | Number of post  | Classification  | Pay band<br>and grade<br>pay or pay<br>scale  | Whether<br>selection post<br>or non-<br>selection<br>post | Age-limit for direct recruits |  |
|---|---|---|---|---|-------------------------------|--|
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)                           |  |
| Assistant<br>Director<br>Grade-II<br>(Non-<br>Technical)  | 7* (2015) *Subject to variation dependent on workload | General Central<br>Service, Group 'B'<br>Gazetted,<br>Ministerial | Pay band-2,<br>Rs. 9300—<br>34800 plus<br>grade pay of<br>Rs. 4600                          | Selection   | Not applicable                |  |
| Educational a direct recruits   | nd other qualificati                                  | ons required for  | Whether age and ed<br>qualifications preso<br>direct recruits will a<br>the case of promote | ribed for<br>pply in                                      | od of probation, if any       |  |
| (7)   |   |   | (8)   |   | (9)                           |  |
| Not applicable  |   |   | Not applicable  |   | Not applicable                |  |
| Method of recruitment: Whether by direct recruitment by promotion or by deputation or absorption and percent of the vacancies to be filled by various methods |   |   |   |   |                               |  |
|   | (10)  |   | (11)  |   |                               |  |

Promotion failing which by deputation (including short term contract).

#### Promotion:-

Assistant with five years regular service in the pay band-2 of Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200, with 2-4 weeks training in establishment and administration from the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), National Council for Training and Social Research (NCTSR) or any other recognised Institute.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on

the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

#### Deputation:

Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Universities or Recognised Research Institution or Public Sector Undertaking or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations,

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4200 in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing two years' experience in the work relating to administration or export or cooperation or handlooms and textiles or village and small scale industries in the Central Government or State Government or Union territories or Universities or Recognised Research Institution or Public Sector Undertaking or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations.
- Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: The period of deputation including the period of deputation (including short- term contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of the applications.
- Note 4: For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

| If a Departmental Promotion Committee exists, wh   | Circumstances in which Union Public Service<br>Commission to be consulted in making<br>recruitment   |  |  |
|--|--|--|--|
| (12)   | (13)   |  |  |
| Group "B" Departmental Promotion Commits (for considering promotion consisting of):—   | Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract). |  |  |
| Development Commissioner for<br>(Handlooms)  | —Chairman  |  |  |
| Additional or Joint Development     Commissioner for (Handlooms)   | Member   |  |  |
| <ol> <li>Director or Deputy Secretary in<br/>the offices of the Ministry of<br/>Textiles</li> </ol>  | —Member  |  |  |
| A A LOS COMPANIES CONTRACTOR CONT |  |  |  |

[F. No. 12018/2/2012-DCHL/Estt.-I]

ANII.RAJ KUMAR, Addi. Development Commissioner for Handlooms